न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 75 / 2023

बनाम

प्रार्थीगण

1. भैराराम पुत्र हरदानराम उम्र 42 वर्ष
2. गजाराम पुत्र चौखाराम उम्र 50 वर्ष
3. अतमदेवी पुत्री हरदानराम उम्र 45 वर्ष
4. चूनीदेवी पत्नि जेठाराम उम्र 80 वर्ष
5. चैलाराम पुत्र देवाराम उम्र 70 वर्ष
6. दुदाराम पुत्र चौखाराम उम्र 40 वर्ष
7. नेनुदेवी पत्नि मगाराम उम्र 50 वर्ष
8. पुरखाराम पुत्र जेठाराम उम्र 65 वर्ष
9. प्रागाराम पुत्र जेठाराम उम्र 50 वर्ष
10. पूराराम पुत्र देवाराम उम्र 60 वर्ष
11. भोलाराम पुत्र जेठाराम उम्र 55 वर्ष
12. मूलाराम पुत्र जेठाराम उम्र 45 वर्ष
13. मूली पुत्री हरदानराम उम्र 30 वर्ष
14. मिसराराम पुत्र चौखाराम उम्र 40 वर्ष
15. मोटाराम पुत्र देवाराम उम्र 63 वर्ष
16. मोहनराम पुत्र हरदानराम उम्र 45 वर्ष
17. रामाराम पुत्र मगाराम उम्र 28 वर्ष
18. रामाराम पुत्र जेठाराम उम्र 40 वर्ष
19. रायाराम पुत्र हरदानराम उम्र 32 वर्ष
20. लखाराम पुत्र मगाराम उम्र 18 वर्ष
21. हरखूदेवी पुत्री हरदानराम उम्र 28 वर्ष

जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासी बामणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण

1. धुडाराम पुत्र नारणाराम उम्र 38 वर्ष
2. धापूदेवी पत्नि नारणाराम उम्र 75 वर्ष
3. नवलाराम पुत्र खेराजराम उम्र 55 वर्ष
4. भोमाराम पुत्र खेराजराम उम्र 65 वर्ष
5. लाधूराम पुत्र नारणाराम उम्र 48 वर्ष
6. करनाराम पुत्र खेराजराम उम्र 52 वर्ष
7. कालूराम पुत्र नारणाराम उम्र 48 वर्ष
8. खेताराम पुत्र खेराजराम उम्र 50 वर्ष
9. खीयाराम पुत्र खेराजराम उम्र 51 वर्ष
10. चुतराराम पुत्र नारणाराम उम्र 44 वर्ष
11. करनाराम पुत्र नेनाराम उम्र 60 वर्ष
12. कालूराम पुत्र नेनाराम उम्र 50 वर्ष
13. चौनाराम पुत्र नेनाराम उम्र 58 वर्ष
14. थानाराम पुत्र नेनाराम उम्र 44 वर्ष
15. हिमताराम पुत्र नेनाराम उम्र 56 वर्ष
16. धूड़ाराम पुत्र पोलाराम उम्र 30 वर्ष
17. धीराराम पु आदूराम उम्र 55 वर्ष
18. मुलीदेवी पत्नि चिमनाराम उम्र 75 वर्ष
19. मांगाराम पुत्र पोलाराम उम्र 55 वर्ष
20. वगताराम पुत्र आदूराम उम्र 57 वर्ष
21. अणसीदेवी पत्नि पोलाराम उम्र 70 वर्ष
22. खीमाराम पुत्र आदूराम उम्र 60 वर्ष
23. गीगाराम पुत्र चिमनाराम उम्र 40 वर्ष
24. गोरधन[illegible]राम उम्र 40 वर्ष
25. [illegible]
26. [illegible]राम उम्र 77 वर्ष
27. चेलाराम पुत्र [illegible]राम 55 वर्ष
28. चौथाराम पुत्र हेमाराम उम्र 60 वर्ष
29. जैयाराम पुत्र अजाराम उम्र 38 वर्ष
30. जोराराम पुत्र अजाराम उम्र 40 वर्ष
31. दलू पत्नि भोलाराम उम्र 60 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:48:12 IST
Reason: SelfAttested

32. दलूदेवी पत्नि जोगाराम उम्र 55 वर्ष
33. धनी पत्नि मालाराम उम्र 60 वर्ष
34. पेमाराम पुत्र देराजराम उम्र 48 वर्ष
35. मूलाराम पुत्र भोलाराम उम्र 38 वर्ष
36. राणाराम पुत्र मालाराम उम्र 40 वर्ष
37. सताराम पुत्र मालाराम उम्र 35 वर्ष
38. हड़मानराम पुत्र देराजराम उम्र 40 वर्ष
39. हीराराम पुत्र मालाराम उम्र 32 वर्ष
40. अचलाराम पुत्र भोलाराम उम्र 30 वर्ष
41. अणदाराम पुत्र जोगाराम उम्र 18 वर्ष
42. अनुदेवी पत्नि देराजराम उम्र 65 वर्ष
43. उकाराम पुत्र देराजराम उम्र 55 वर्ष
44. उमाराम पुत्र देराजराम उम्र 65 वर्ष
45. कंवराराम पुत्र जोगाराम उम्र 22 वर्ष
46. कोहलाराम पुत्र हेमाराम उम्र 62 वर्ष
47. गुमनाराम पुत्र अजाराम उम्र 25 वर्ष जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासी बामणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
48. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:48:12 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक –14.12.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा बामणी पटवार हल्का धनवा तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 258/2 रकबा 0.1942 हैक्टेयर व खसरा संख्या 354/258 रकबा 2.3784 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई

पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा बामणी पटवार हल्का धनवा तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 258/2 रकबा 0.1942 हैक्टेयर व खसरा संख्या 354/258 रकबा 2.3784 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा बामणी पटवार हल्का धनवा तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 258/2 रकबा 0.1942 हैक्टेयर व खसरा संख्या 354/258 रकबा 2.3784 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा बामणी पटवार हल्का धनवा तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 258/2 रकबा 0.1942 हैक्टेयर व खसरा संख्या 354/258 रकबा 2.3784 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा बामणी पटवार हल्का धनवा तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 258/2 रकबा 0.1942 हैक्टेयर व खसरा संख्या 354/258 रकबा 2.3784 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि की रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:48:12 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा, **प्रार्थीगण** का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बामणी पटवार हल्का धनवा हसील **सिणधरी** में खसरा संख्या 258/2 रकबा 0.1942 हैक्टेयर व खसरा संख्या 54/258 रकबा 2.3784 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी रने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व **विप्रार्थीगण** को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 14.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:48:12 IST
Reason: SelfAttested